न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-195RAAJodhpur2023-55RTA223 Manaram Vs Nirmala Malu etc

मानाराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई
निवासी मूलराज विशनावास लोहावट
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. निर्मला मालू पत्नी जबरचन्द्र मालू जाति ओसवाल,
   निवासी 1017 सिरेन्द्र भवन, प्रथम डी रोड,
   सरदारपुरा जोधपुर
2. रतनी पत्नी धीमाराम जाति विश्नोई
   निवासी मूलराज विशनावास लोहावट,
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
3. मगनाराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई
   निवासी मूलराज विशनावास लोहावट,
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
4. गीता पुत्री धीमाराम जाति विश्नोई
   निवासी मूलराज विशनावास लोहावट,
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
5. शान्तिदेवी पुत्री धीमाराम जाति विश्नोई
   निवासी मूलराज विशनावास लोहावट,
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
6. पालू पुत्री धीमाराम जाति विश्नोई
   निवासी मूलराज विशनावास लोहावट,
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
7. शाखा प्रबन्धक,
   स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,
   शाखा कानसिंह की सिड,
8. तहसीलदार बाप,
   जिला जोधपुर
9. यशोभूमि लेण्डकॉम प्रा.
   जरिये अधिकृत प्रतिनिधि सिद्धार्थ अग्रवाल पुत्र श्याम अग्रवाल

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप दिनांक 13

16.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जनवरी 2022 राजस्व वाद संख्या 144/2021 निर्मला मालू बनाम रतनी इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री जगदीश चन्द्र विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री अनोपसिंह, श्री महावीरसिंह अधिवक्ता-रेस्पो. सं. एक से छ : व नौ
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 16 अक्टूबर 2023

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 144/2021 निर्मला मालू बनाम रतनी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2022 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 10 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 49 रकबा 90 बीघा 02 बिस्वा वाके मौजा जम्भेश्वरनगर द्वितीय के संबंध में पेश किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2022 को स्वीकार कर लिया गया। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2022 के खिलाफ अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष पेश की है। अदालत हाजा द्वारा उभय पक्ष की सहमति से बिना विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब किये तथा शेष रेस्पोडेंट्स की तामील से छूट प्रदान करते हुए दिनांक 15 फरवरी 2022 को अपील स्वीकार कर

16.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया का अनुसार वाद के निस्तारण हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें विरुद्ध अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील संख्या 2020/794 पेश की गई। माननीय मण्डल द्वारा अपील स्वीकार कर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 15 फरवरी 2022 को निरस्त कर समस्त पक्षकारान् एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब करके उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये। माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों की पालना में दिनांक 09 मार्च 2023 को अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की गई तथा उभय पक्ष को तलब किया गया। उभय पक्ष जरिये अधिवक्तागण उपस्थित होने पर गुणावगुण पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पर सम्मन की समुचित एवं सम्यक तामील नहीं करायी गयी और अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही इकतरफा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 13 जनवरी 2022 पारित कर दिये गये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2022 को इकतरफा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद में भूमिधारी तहसीलदार को भी पक्षकार बनाया गया है, आदेशिका दिनांक 13 जनवरी 2022 में प्रतिवादीगण संख्या एक से सात पर सम्मनों की तामील मानकर एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है, मगर प्रतिवादी संख्या 8 तहसीलदार पर सम्मन की तामील नहीं हुई, इस कारण मामले में प्रतिवादी संख्या 8 के सम्मन पुनः जारी किये जाकर

16.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वास्ते तामील आगामी पेशी मुकर्रर की जानी चाहिये था, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार है, जिसके कब्जे-काश्त वाली भूमि पर रेस्पो. संख्या एक व नौ, जो कि स्ट्रेन्जर परचेजर है, अपने बेचाननामा में भू-भाग विशेष एवं दिशाएँ खोल कर जबरन काबिज होने का प्रयास कर रहे है। यही नहीं, अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2022 को जारी होने के बाद स्ट्रेन्जर परचेजर रेस्पो. संख्या नौ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2022 को प्रस्तुत किये जाने के रोज ही स्वीकार कर लिया गया जबकि उक्त प्रार्थनापत्र के साथ न तो अधिवक्ता का वकालतनामा है, न प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र है, न कोई अधिकार-पत्र/पावर ऑफ एटोर्नी है, न तथाकथित अधिकृत व्यक्ति का नाम व पता दर्ज है और न ही संशोधित वाद-शीर्षक में अंकित किया गया है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने दृढतापूर्वक यह भी कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अनुसरण में संबंधित तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26 जनवरी 2022 को तैयार किये गये जिनमें रेस्पो. संख्या नौ को सूचित किये जाने का वर्णन है तथा रेस्पो. नौ की ओर से हस्ताक्षर भी किये गये है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. संख्या 9 को दिनांक 31 जनवरी 2022 को पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलाण्ट-प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना, निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना सुनिश्चित किये बिना, नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों की अनुपालना किये बिना ही मनमाने तौर पर आनन-फानन में पारित कर दिये गये, जो खारिज किये जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

16.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता-केवियेटर/रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में पूर्व खातेदार अर्जुनराम पुत्र मंगलाराम, पूनाराम पुत्र अर्जुनराम पुत्र हरिंगाराम ने अपना ¼ हिस्सा, कंवरलाल पुत्र बीरबलराम ने अपना ⅛ हिस्सा व भागीरथ पुत्र जोधाराम ने अपना ¼ हिस्से का बेचान अलग-अलग विकय विलेखों के जरिये दिनांक 13 सितम्बर 2021 व 20 सितम्बर 2021 को रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या दो से छः द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित अपने संपूर्ण हक-हिस्से की भूमि रेस्पोडेंट संख्या नौ को पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये बेचान कर दी है। इस प्रकार रेस्पो. संख्या एक व नौ सद्भावी केता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् के जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर तहसीलदार बाप से विभाजन नियम 18 से 21 की पालना अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किया है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट के हक-हिस्से पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी विधि-सम्मतः एवं न्यायोचित पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट सम्मन की सम्यक एवं समुचित तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से इकतरफा कार्यवाही अमल में लाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव के संबंध में विचारण न्यायालय में आपत्तियॉ प्रस्तुत नहीं कर हस्तगत अपील में पेश की है। विचारण न्यायालय में अंतिम डिक्री जारी होनी है। इसलिए अपीलांट के पास विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ पेश करने का समुचित अवसर प्राप्त है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

16.8.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। वाद के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवतः 2072-2075 ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय तहसील बाप के खाता संख्या 5 नया एवं पुराना खाता संख्या 4 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 49 रकबा 9.02 बीघा में अपीलांट 1/4 हिस्से का रेकर्डेड खातेदार दर्ज है। पंजीबद्ध बेचाननामों दिनांक 13.09.2021 एवं 20.09.2021 कें मुताबिक वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदारान् अर्जुनराम पि.मंगलाराम, पूनाराम पि.अर्जुनराम पि. हरिगाराम, कंवरलाल पि. बीरबलराम, भागीरथ पि. जोधाराम द्वारा अपने संपूर्ण 5/8 हिस्सें की भूमि पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक को विक्रय किया जाना पाया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 49 रकबा 90.02 बीघा में वादीनी/रेस्पोडेंट संख्या एक के 5/8 हिस्से, प्रतिवादी संख्या एक ता पांच के 1/8 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या छः/अपीलांट के 1/4 हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना करते हुए तलब किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजी में अपीलांट के निहित 1/4 हिस्से में कोई परिवर्तन/फेरबदल किया जाना नहीं पाया जाता है, जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा अपील स्तर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपने हितों पर विपरीत प्रभाव डालने वाला कोई भी उज्र नहीं उठाया है।

जहां तक अपीलांट के विभाजन प्रस्ताव पर उज्र है, उसके संबंध में अपीलांट के पास विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर आपतियॉ प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त है।

16.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता-अपीलाण्ट के उक्त उज्र है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2022 को जारी होने के बाद स्ट्रेन्जर परचेजर रेस्पो. संख्या नौ की द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31 जनवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि उससे पूर्व ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अनुसरण में संबंधित तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26 जनवरी 2022 को तैयार किये गये जिनमें रेस्पो. संख्या नौ को सूचित किये जाने का वर्णन है तथा रेस्पो. नौ की ओर से हस्ताक्षर भी किये गये है। उक्त उज्र के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं जमाबंदी संवतः 2076-2079 ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या दो से छः द्वारा अपने हक-हिस्से की भूमि रेस्पोडेंट संख्या नौ को बेचान कर दिये जाने से रेस्पोडेंट संख्या नौ राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेंट संख्या दो से छः के स्थान पर प्रतिस्थापित हुंआ है। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी में अघतन राजस्व रेकर्ड में दर्ज समस्त खातेदारान् को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री से गुणावगुण पर अपीलांट के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने तथा उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 144/2021 निर्मला मालू बनाम रतनी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2022 यथावत रखे जाते है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह नियम 18 से 21

16.8.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की पालना सुनिश्चित करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव उभय पक्ष की उपस्थित में तलब करे। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर उभय पक्ष की ओर से आपत्ति प्रस्तुत होने पर उनका विधिसम्मत निराकरण करते हुए अंतिम डिक्री जारी करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03 नवंबर 2023 को उपस्थित रहे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.X.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

मानाराम पुत्र फगलूराम
जाति विश्नोई
निवासी मूलराज विशनावास
लोहावट
तहसील लोहावट, जिला
जोधपुर

ब

ना

म

रेस्पोडेण्ट

1. निर्मला मालू पत्नी जबरचन्द्र मालू जाति ओसवाल,
   निवासी 1017 सिरेन्द्र भवन, प्रथम डी रोड,
   सरदारपुरा जोधपुर
2. रतनी पत्नी धीमाराम जाति विश्नोई
   निवासी मूलराज विशनावास लोहावट,
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
3. मगनाराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई
   निवासी मूलराज विशनावास लोहावट,
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
4. गीता पुत्री धीमाराम जाति विश्नोई
   निवासी मूलराज विशनावास लोहावट,
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
5. शान्तिदेवी पुत्री धीमाराम जाति विश्नोई
   निवासी मूलराज विशनावास लोहावट,
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
6. पालू पुत्री धीमाराम जाति विश्नोई
   निवासी मूलराज विशनावास लोहावट,
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
7. शाखा प्रबन्धक,
   स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,
   शाखा कानसिंह की सिड,
8. तहसीलदार बाप,
   जिला जोधपुर
9. यशोभूमि लेण्डकॉम प्रा.
   जरिये अधिकृत प्रतिनिधि सिद्धार्थ अग्रवा
   पुत्र श्याम अग्रवाल

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप दिनांक 13 जनवरी 2022 राजस्व वाद संख्या 144/2021 निर्मला मालू बनाम रतनी इत्यादि

------- 0 -------

16.X.'23

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 16 अक्टूबर 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री अनोपसिंह, श्री महावीरसिंह अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 144/2021 निर्मला मालू बनाम रतनी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2022 यथावत रखे जाते है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव उभय पक्ष की उपस्थित में तलब करे। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर उभय पक्ष की ओर से आपत्ति प्रस्तुत होने पर उनका विधिसम्मत निराकरण करते हुए अंतिम डिक्री जारी करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03 नवंबर 2023 को उपस्थित रहे। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 16 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया।

16.10.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

16.10.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर